न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 146/2013

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

मुकना पुत्र बेदा जाति चमार निवासी अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. नाथू पुत्र नारायण जाति चमार निवासी अम्बापुरा तहसील केकडी
2. श्रीमति बरदी पुत्र नारायण पत्नि रामसुख जाति चमार निवासी अम्बापुरा
3. श्रीमति मनभर पुत्र नारायण पत्नि प्रहलाद जाति चमार निवासी अम्बापुरा हाल निवासी अरणिया तहसील मालपुरा जिला टोंक
4. रामचन्द्र पुत्र सुखा जाति चमार
5. बख्तावर पुत्र बेदा जाति चमार
6. मूला पुत्र हरजी जाति चमार

निवासीगण अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 9.5.18**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम अम्बापुरा ग्राम पंचायत जूनियां जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068–2071 में खाता स. 146 में वाद वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 412, 413, 414, 415, 421, 422 , 423, 487,क्रमशः रकबा 0.43, 0.70, 040, 0.16, 0.20, 0.21, 0.21, 0.19, 0.14 है. किस्म बारानी प्रथम का पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात वादी के स्वयं के खातेदारी एव कब्जे काश्त आधिपत्य की आराजीयात है। वाद वर्णित आराजीयात के आराजी खसरा नम्बर 191/1 रकबा 191/1 रकबा 15 बीघा वादी को अकेले को आवंटित हुयी। जो वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होती चली आ रही है एव संवत 2041 की जमाबन्दी में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही है। व मौके पर वादी का ही काश्त है।वादी ने वाद वर्णित आराजीयात को किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को या प्रतिवादीगण को रहन बैचान बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की गयी है। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज की है। वाद वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम इन्द्राज कर जमाबन्दी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का नाम विलोपित किया जावें। वादी को वादग्रस्त आराजी का खातदोर काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में वादी का नाम इन्द्राज किया जाने का निवेदन किया है। वाद स्वीकार फरवाया जावें।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की और से अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन ने पावर पेश किया । पत्रावली में प्रतिवादी 1व 4 से 6 की दिनांक 18.10.2013 एंव प्रतिवादी स. 2 व 3की दिनांक 17.1.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठितधारा 151 जा.दी. का पेश किया जिस पर सीधे बहस सुनी गयी जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादीगण को जवाब हेंतु दिनांक 30.4.14 से 26.4.2017 तक का समय दिया गया किन्तु प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब पेश हुआ न ही को न्यायालय में उपस्थित हुये । लिहाजा प्रतिवादी 1 से 6 की पुनः एकपक्षीय कार्यवाही की गई ततपश्चात पत्रावली शहादतवादी हेतु नियत की गई । ततपश्चात वादी के अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक को गवाह मुकना का शपथ पत्र पेश किया पत्रावली आज केम्प कोर्ट जूनियां में पेश हुयी जहां एक पक्षीय बहस सुनी गई विवरण निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी

वकील वादी ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यों की बहस करते हुये निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता न. 146 में दर्ज खसरा नम्बर 412 ,413, 414, 415, 421, 422, 423, 487 कुल किता 8 कुल रकबा 2.43 है. भूमि जो कि मुकना पुत्र बेदा , नारायण पुत्र जगन्नाथ , रामचन्द्र पुत्र सुखा ,बख्तावर पुत्र बेदा , मूला पुत्र हरजी कोम चमार सा.देह. खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी के पुराने साबिक खसरा नम्बर 191/1 मि. कुल रकबा 15 बीघा जो कि वर्किग जमाबन्दी संवत 2041 में खाता न. 67 में वादी के नाम दर्ज खातेदारी थी। अर्थात वादग्रस्त आराजी वर्किग जमाबन्दी संवत 2041 से व इसके पूर्व से भी वादी के नाम ही होती चली आ रही है। वादी वादग्रस्ता आराजी का अकेला खातेदार था । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा वर्किग जमाबन्दी के अनुसार नही है। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त हुये नये रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। वादग्रस्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्किग जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज एंव कब्जे के अनुसार वाद पत्र का संतुलन वादी के पक्ष में बनता है।

प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में ना तो कोई जवाब पेश किया है न ही कोई दस्तावेज पेश किया । जवाब सरकार अनुसार वर्किग जमाबन्दी में वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज है। नवीन रिकॉर्ड भू प्रबन्ध की मिसल में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस आधार पर प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 तक दर्ज किये है। दौराने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस दस्तावेज के द्वारा प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज किया है जिसका कोई दस्तावेज पेश नही है। प्रतिवादी ,द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज यथा विक्रय , दान, डिक्री से दर्ज हुये होना जवाब सरकार में अंकित किया है। किन्तु प्रतिवादीगण उक्त तथ्यों को सिद्व करने में असर्मथ रहे है। तथा प्रतिवादीगण के पुनः एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकार व पेरोकार सरकार को सूना । वाद ग्रस्त आराजी वर्किग जमाबन्दी संवत 2041 में वादी के नाम दर्ज खातेदारी होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस बनता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता न.146 में दर्ज खसरा नम्बर 412 ,413, 414, 415, 421, 422, 423, 487 कुल किता 8 कुल रकबा 2.43 है. में दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुये वादी को खातदोर कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें न ही वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार रहन बेचान आदि करें । *पत्रावली फैसलानुसार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)